मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 4-5/2011/नियम/चार भोपाल,दिनांक16मई, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- प्रदेश के प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायु सेवा के प्रोत्साहन हेतु शासकीय सेवकों को हवाई यात्रा की पात्रता ।

संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27-8-2011 एवं दिनांक 31-1-12.

-•-

वित्त विभाग के सन्दर्भित ज्ञाप दिनांक 27-8-2011 एवं 31-1-2012 से प्रदेश पर्यटन औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्रों के माध्यम से वायु सेवा का विस्तारीकरण हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अनुबंधित निजी आपरेटरों के द्वारा प्रदान की जाने वाली हवाई सेवा के लिए राज्य शासन के अधिकारियों जिनका ग्रेड वेतन रूपये 6600/- या अधिक हो, को इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, खजुराहो एवं रींवा के मध्य इसमें विहित शर्तों के अधीन हवाई यात्रा की सुविधा दी गई है ।

2/ एम.पी.स्टेट टूरिजम डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्पोरेशन द्वारा संचालित वायु सेवा से यात्रा के लिये शासकीय सेवकों को G श्रेणी की 03 सीटें आरक्षित हैं, परन्तु कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा उन्हें आरक्षित G श्रेणी से यात्रा न करते हुये, श्रेणी I, J, K, L, M एवं R, जो सामान्य जनता के लिए है, से यात्राएं की जा रही है । फलस्वरूप राज्य शासन को एक ओर जहाँ G श्रेणी की रिक्त सीटों हेतु किराये का भुगतान निगम को करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर शासकीय सेवकों द्वारा वास्तविक रूप से जिस श्रेणी द्वारा यात्रा की गई है, उसका किराया भी अन्ततः शासन को यात्रा भत्ता के रूप में वहन करना पड़ता है ।

3/ अतः उपरोक्त पर समग्र रूप से विचार करते हुये राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय अधिकारियों द्वारा G श्रेणी से की गई यात्रा के लिये ही यात्रा भत्ते की पात्रता होगी । यदि किसी शासकीय सेवक द्वारा G श्रेणी के अतिरिक्त किसी अन्य श्रेणी से यात्रा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संबधित शासकीय सेवक को यह प्रमाण पत्र यात्रा देयक में अंकित करना होगा कि "G श्रेणी की कोई भी सीट उपलब्ध नहीं थी"।

4/ कृपया उपरोक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के ध्यान में लाया जाकर इसका कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन.मिश्रा)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita//Paripatra/5/3/2012&39
Web- http://www.mp.gov.in/finance

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-5/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16 मई, 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

I/Sunita
http/WWW.mp.gov.in/finance